

कार्यालय निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, विमूति खण्ड-2, गोमती नगर, लखनऊ।

दिनांक: 20 मई, 2016

संख्या: 13 सी0/मु0ई0/निरीक्षण/सामान्य,  
सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0  
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,  
लखनऊ।


विषय: मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन महोदय की अध्यक्षता में 'Ease of Doing Business' की दिनांक  
09.05.2016 का हुई रिवीव मीटिंग के सन्दर्भ में।

प्रसंग: आपका पत्र संख्या-1734 /RESPO/EoDB दिनांक 11 मई, 2016

महोदय,

कृपया विषयांकित के संबंध में अनुरोध है कि प्रासंगिक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके संबंध में सादर अवगत कराना है कि मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 09.05.2016 को 'Ease of Doing Business' के सन्दर्भ में आहूत की गई मीटिंग के दौरान Action Point 189 जिसमें Internal Installations Third Party Inspection के अनुपालन के सन्दर्भ में अवगत कराया गया था कि किसी भी विद्युतीय अधिष्ठापन को ऊर्जाकृत किये जाने से पूर्व मान्यता प्राप्त Government Licensed Third Party Agency द्वारा यह Certify करने का प्रावधान होता है कि किसी भी उपभोक्ता के परिसर में अधिष्ठापित आंतरिक विद्युतीय अधिष्ठापन (Internal Electrical Installations) भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 (केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010) के प्रावधानों के अन्तर्गत विद्युतीय अधिष्ठापन सुरक्षा के विभिन्न मानकों के अनुसार संतोषजनक रूप से पूर्ण कर लिया गया है (It is certified that electrical internal installation work has been completed in all respect with required standards and provisions as per I.E. Rules)। इस प्रकार Third Party के रूप में मान्यता प्राप्त Government Licensed Third Party Private Agency के द्वारा Certify कराने का प्रावधान सुनिश्चित किया जाता है। उपरोक्त आपकी सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ED- Respo /  
conk  
B. K. Saxena SE Respo  
2015

भवदीय,  
  
(गिरीश कुमार सिंह)  
कार्यवाहक निदेशक